

(भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

सं.11011-3/2014-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा यूनिट


शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 27 जनवरी, 2015

अधिसूचना

का0आ0केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम 4 के अनुसरण में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालय, ऊटी, एच पी एफ, इंदुनगर, उटकमंड - 643 005 को, ऐसे कार्यालय के रूप में, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी-वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।


सेवा में

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली


(सुखबीर सिंह संधु)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. संयुक्त आयुक्त (कार्मिक), केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग, नई दिल्ली-16 को दिनांक 06.1.2015 के पत्र सं. एफ. 11025/06/15-केविसं/हि/8 के संदर्भ में प्रेषित।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि।
3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन आदि।
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी ब्यूरो प्रमुख/प्रभाग/अनुभाग/डेस्क आदि।
5. राजभाषा विभाग, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
6. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
7. मानव संसाधन विकास मंत्री जी के निजी सचिव।
8. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग के निजी सचिव।
9. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निजी सचिव।
- ✓ 10. वेबमास्टर को विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
11. गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियाँ।



(गजराज सिंह)

उप निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष : 23074199

संज्ञप्र
20.02.2015

सी.एम.आई.ए. (ओ.प्र.)